


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान प्र0सं0 605 / 2024 मूलचन्द बलाई बनाम गोपाल बैरवा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	---

07/2/25 पत्रावली पेश हुई। नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2025 / 44 दिनांक 20.01.2025 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.12.2023 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-  
ग्राम गेगा का खेडा पटवार हल्का गेगा का खेडा भू0अ0नि0 क्षेत्र आकोला

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
मूलचन्द पिता बालु बलाई सा0 सोपुरा खातेदार	219/1	0.0475 है0
	कुल किता 01 कुल रकबा 0.0475 हैक्टैयर भूमि	
गोपाल पिता नाराण 1/4, नन्दु पुत्री बख्ता 1/4, भगवान पिता बालु 1/4, होक्मा पिता बख्ता 1/4 बैरवा सा0 देह खातेदार रहन बी0ओ0बी0 बन का खेडा हिस्सा भगवान का	219/2	0.1902 है0
	कुल किता 01 कुल रकबा 0.1902 हैक्टैयर भूमि	

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में नायब तहसीलदार बडलियास अमल दरामद करें, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 07/2/2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

605 / 2024

30.07.2024

07.12.2025

उनवान

1. मूलचन्द पिता बालू बलाई, निवासी सोपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा।

बनाम

-- वादी

1. गोपाल पिता नाराण बैरवा, निवासी गेगा का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा।
2. नन्दू पुत्री बख्ता बैरवा, निवासी गेगा का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा।
3. भगवान पिता बालू बैरवा, गेगा का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा।
4. होक्मा पिता बख्ता बैरवा, गेगा का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा।
5. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा-बन का खेडा जिला भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर/नायब तहसीलदार बडलियास।

--प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री श्यामलाल गुर्जर उपस्थित।
2. विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 06 की और से पैरोकार सरकार।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री श्यामलाल गुर्जर उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 07.12.2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-.

ग्राम गेगा का खेडा पटवार हल्का गेगा का खेडा भू0अ0नि0 क्षेत्र आकोला

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
मूलचन्द पिता बालू बलाई सा0 सोपुरा खातेदार	219/1	0.0475 है0
	कुल किता 01 कुल रकबा 0.0475 हैक्टेयर भूमि	
गोपाल पिता नाराण 1/4, नन्दु पुत्री बख्ता 1/4, भगवान पिता बालू 1/4, होक्मा पिता बख्ता 1/4 बैरवा सा0 देह खातेदार रहन बी0ओ0बी0 बन का खेडा हिस्सा भगवान का	219/2	0.1902 है0
	कुल किता 01 कुल रकबा 0.1902 हैक्टेयर भूमि	

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में नायब तहसीलदार बडलियास अमल दरामद करें, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 07.12.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)  
पदेन सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
भीलवाड़ा  
पदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा